20.09.13	यह वाद ग्राम मसमोहना के खाता संख्या–37, खेसरा संख्या–11, रकबा–2.09 2/3ए0 एवं खेसरा संख्या–892, रकबा–0.28 एकड़, कुल रकबा 2.37 2/3ए0 भूमि से संबंधित है, जिसकी जमाबंदी फूलचन्द बेदिया के नाम से चल रही है। उपरोक्त भूमि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 284 दिनांक 17.02.2006 के अनुसार अधिसूचित वन भूमि है, जिसकी अवैध जमाबंदी प्रतिवादियों के नाम से चल रही है। खतियान में खाता संख्या– 37 की भूमि गैरमजरूआ खास, किस्म जंगल के रूप में दर्ज है। राजस्व अभिलेख में इस प्रकार के दर्ज भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 को रिट याचिका सिविल नं0–202/1995 एवं 171/1996 टी0एन0 गदावर्मन थीरूमुल्क पद बनाम भारत सरकार (1997) एस0सी0/78 (ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 1228) में दिये गये निर्णय महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्णित है कि "……………. the term" forest land "occurring in Section 2 will not only include 'forest' as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of ownership ……………………." इस वाद के प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि को निबंधित वासिका से प्राप्त बताया गया है। इसके बिक्रेता श्रीमती शंकरी देवी एवं श्रीमती तेतरी देवी और क्रेता फूलचन्द बेदिया थे। बिक्री करने के पूर्व छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत अनुमति भी प्राप्त की गई थी। सभी राजस्व पदाधिकारियों ने उपरोक्त जमाबंदी को अवैध माना है, क्योंकि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा अंतरण का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि बिक्रेता श्रीमती शंकरी देवी और तेतरी देवी के नाम से जमाबंदी किस आधार पर कायम हुई थी। जमाबंदी रद्द करने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 10.02.2009 को L.P.A. वाद संख्या–425/2006 जगदेव महतो बनाम् आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में यह नियमक दिया गया है कि अगर जमाबंदी बिल्कुल अवैध हो या किसी अभिलेख पर आधारित नहीं हो तो वैसी जमाबंदी रद्द की जा सकती है। न्यायालय का आंशिक निर्णय नीचे अंकित है : "According to us if an order is found to have been passed by an authority having no jurisdiction or when such order is found to be absolutely illegal based on the apparent error on law or facts or when it is found to be perverse not based on record then certainly in such cases jamabandi running or standing in the name of a particular person can be cancelled by a competent authority but of course after giving proper notice and opportunity of haearing to the party who would be adversely affected." अतः वाद में प्राप्त राजस्व पदाधिकारियें की अनुशंसा और उपलब्ध सभी कागजातों से यह स्पष्ट है कि खाता संख्या–37 से संबंधित वर्तमान जमाबंदी अवैध है और गलत है। यह अधिसूचित वन भूमि है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अन्य दूसरे उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतः यह जमाबंदी रद्द करने योग्य है। इसे रद्द	

करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, रामगढ़।	उपायुक्त, रामगढ़।